न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेशकुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 149/23

01. मनताज अली पुत्र फतूखां जाति मुसलमान निवासी चक दोधा हाल चक 2 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
02. अब्दूल सतार पुत्र फतूखां जाति मुसलमान निवासी चक दोधा हाल चक 2 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.......प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट
निर्णय दिनांक :–02.05.24

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र/ प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/42 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 है0 कमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण ने उक्त भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज करने हेतु आवेदन अप्रार्थी सं0 1 के समक्ष किया। जिसके आधार पर प्रार्थीगण के नाम से विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय सहवन से प्रार्थी सं0 1 का नाम मुमताज व प्रार्थी सं0 2 का नाम सतारखां दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी सं0 1 का सही नाम मनताजअली व प्रार्थी सं0 2 का सही नाम अब्दूल सतार है तथा प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजो में भी उक्त नाम ही अंकित है। जिसको प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने के विधिक अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण की विरासतन भूमि चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/42 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 है0 कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम दुरूस्त कर मुमताज के स्थान पर मनताजअली व सतारखां के स्थान पर अब्दूल सतार दर्ज के आदेश करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादपत्र में जमाबन्दी, जायज वारिस प्रमाण, नामान्तरण संख्या 188, आधारकार्ड, परिचय पत्र, पैनकार्ड इत्यादि की प्रति प्रस्तुत की। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम नामान्तरण दर्ज करते समय सहवन से सतारखां व मुमताज दर्ज हो गया जबकि आधारकार्ड व अन्य दस्तावेज में मनताजअली व अब्दुल सतार दर्ज है । मुताबिक दस्तावेजो के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त सहवन दर्ज प्रार्थीगण का नाम दुरूस्त कर मुमताज के स्थान पर मनताजअली व सतारखां के स्थान पर अब्दूल सतार दर्ज किया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वादीगण/प्रार्थीगण के वादपत्र/प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादगत भूमि चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/42 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 है0 कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण/प्रार्थीगण का नाम दुरूस्त कर मुमताज के स्थान पर मनताजअली व सतारखां के स्थान पर अब्दूल सतार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण/प्रार्थीगण का वादपत्र/प्रार्थनापत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 2 केवाईडी मु0नं0 196/42 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 है0 कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण/प्रार्थीगण का नाम मुमताज के स्थान पर मनताजअली व सतारखां के स्थान पर अब्दूल सतार नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेशकुमार),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)